

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 2481]** No. 2481] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2018/आषाढ़ 12, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940

# विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ.3232(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अध्याय 3क के अधीन, संस्थित करने से पहले मध्यस्थता और समझौता के प्रयोजनों हेतु, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित राज्य प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को प्राधिकृत करती है।

[सं. ए-60011(06)/20/2016-प्रशा.-III (वि.का.)]

डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2018

**S.O. 3232(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12A of the Commercial Courts Act, 2015, the Central Government hereby authorises the State Authority and District Authority constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), for the purposes of pre-institution mediation and settlement under Chapter IIIA of the Commercial Courts Act, 2015.

[No.A-60011(06)/20/2016-Admn.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser

3759 GI/2018